

TUESDAY, 29TH MARCH, 2022
Dehradun + Meerut

फॉर्म-ए सार्वजनिक घोषणा (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन) सुपरटेक लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु	
प्रासंगिक विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम सुपरटेक लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि 07.12.1995
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित / पंजीकृत है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार
4.	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या U74899DL1995PLC074422
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता पंजीकृत कार्यालय पता: 1114, हेमकृत चैम्बर 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (इंडिया) कॉर्पोरेट कार्यालय पता: ई-स्क्वायर, प्लॉट नं. सी2, सेक्टर - 96, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201303
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि 25.03.2022
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख 21.09.2022
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक श्री हितेश गोयल IBBI/PA-001/IP-P01405/2018-19/12224
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो केपीएमजी रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, बिल्डिंग नं. 10, टॉवर सी, 8वां तल, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा, 122002, ईमेल आईडी: hiteshgoel@kpmg.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल केपीएमजी रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज एलएलपी, बिल्डिंग नं. 10, टॉवर सी, 8वां तल, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज II, गुरुग्राम, हरियाणा, 122002, ईमेल आईडी: irpsupertech@kpmg.com दावा दायर करने हेतु, कृपया www.supertechlimited.com पर सीआईआरपी अनुभाग में जाएं
11.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि 08.04.2022
12.	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित रियल एस्टेट आवंटी
13.	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं- रियल एस्टेट आवंटी 1. कमलेश तनेजा (IBBI/PA-003/ICAI_N_00365/2021-2022/13796) 2. अंजू अग्रवाल (IBBI/PA-001/IP-P00106/2017-2018/10213) 3. संजीत कुमार शर्मा (IBBI/PA-001/IP-P01132/2018-2019/11827) आईपी की प्रोफाइल www.supertechlimited.com के सीआईआरपी सेक्शन में उपलब्ध है
14.	(क) प्रासंगिक फॉर्म - सबूतों के साथ दावों को प्रस्तुत करना दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अध्याय IV के अनुसार किया जाना है। दावे का प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है: फॉर्म बी - परिचालन लेनदारों के दावों के लिए फॉर्म सी - वित्तीय लेनदारों द्वारा अन्य घर खरीदारों के दावों के लिए। फॉर्म सीए - गृह खरीदारों के दावों के लिए फॉर्म डी - कामगारों और कर्मचारियों के दावों के लिए फॉर्म ई - कामगारों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि के दावों के लिए फॉर्म एफ - लेनदारों के दावों के लिए (परिचालन और वित्तीय लेनदार के अलावा) फॉर्म प्राप्त करने के लिए, आप उपरोक्त फॉर्म को वेबसाइट www.ibbi.gov.in से उनके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण www.supertechlimited.com पर उपलब्ध है
इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने 25.03.2022 को सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। सुपरटेक लिमिटेड के क्रेडिटर्स को 08.04.2022 को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंटी नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचालन लेनदारों को पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं। एंटी नं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय लेनदार, क्लास फॉर्म सी ए में घरेलू खरीदार, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एंटी नं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा। दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा। अंतिम समाधान प्रोफेशनल का नाम एवं हस्ताक्षर: हितेश गोयल, तिथि और स्थान: 29.03.2022, गुरुग्राम IBBI/PA-001/IP-P01405/2018-19/12224	